रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-18112020-223154 CG-DL-E-18112020-223154

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3622] No. 3622] नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 17, 2020/कार्तिक 26, 1942

NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 17, 2020/KARTIKA 26, 1942

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 नवम्बर, 2020

का.आ. 4123 (अ.) —गर्भधारण-पूर्व और प्रसव-पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 की धारा 8 सह पठित धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार एतद्वारा भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण की दिनांक 5 फरवरी, 1997 की अधिसूचना सं. सां. आ. 85(अ.) में आगे निम्नलिखित संशोधन करती है नामत:

2. उक्त अधिसूचना में क्रम संख्या 19, 20, 21 और 22 तथा उनसे संबद्ध प्रविष्टियों को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामत:

19	प्रधान सचिव (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण), दिल्ली सरकार	सदस्य
20	डॉ- वंदना धुमे, समुचित प्राधिकारी, गोआ सरकार	सदस्य
21	प्रधान सचिव (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण), पुडुचेरी सरकार	सदस्य
22	अमित कुमार, विशेष सचिव (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण), पंजाब सरकार	सदस्य

उक्त सदस्यों का कार्यकाल इस अधिसूचना की तारीख से प्रारंभ होकर एक वर्ष की अवधि के लिए या अगला आदेश होने – दोनों में से जो भी पहले हो, तक के लिए होगा।

> [फा.सं. वी.11011/04/2020-पीएनडीटी] विकास शील, संयुक्त सचिव

5576GI/2020 (1)

पाद टिप्पणी: मुख्य अधिसूचना 5 फरवरी, 1997 के का.आ. 85 (अ) के तहत भारत के राजपत्र में प्रकाशित की गई थी और 28 फरवरी, 1998 के का.आ. 160 (अ) के तहत संशोधित की गई थी। इसमें आगे और संशोधन का.आ. 694 (अ) दिनांक 13 अगस्त, 1998; का.आ. 61(अ) दिनांक 14 जनवरी, 2000; का.आ. 114(अ) दिनांक 1 फरवरी 2000; का.आ. 349(अ) दिनांक 20 अप्रैल, 2001; का.आ. 931(अ) दिनांक 19 सितंबर, 2001, का.आ. 590(अ) दिनांक 31 मई, 2002,का.आ. 1191(अ) दिनांक 12 नवम्बर, 2002, का.आ. 703(अ) दिनांक 18 जुन, 2003, का.आ. 1458(अ) दिनांक 23 दिसंबर, 2003, का.आ. 99(अ) दिनांक 20 जनवरी, 2004, का.आ. 367(अ) दिनांक 17 मार्च, 2004, का.आ. 937(अ) दिनांक 19 अगस्त, 2004 का.आ. 1008(अ) दिनांक 16 सितंबर, 2004, का.आ. 56(अ) 19 जनवरी, 2006, का.आ. 199(अ), दिनांक 10 फरवरी, 2006, का.आ. 200(अ) दिनांक 10 फरवरी, 2006 का.आ. 1854(अ) दिनांक 30 अक्तूबर, 2006, का.आ. 1506(अ) दिनांक 20 जून, 2008, का.आ. 130(अ), दिनांक 6 जनवरी, 2009, का.आ. 2143(अ) दिनांक 20 अगस्त, 2009, का.आ. 779(अ) दिनांक 28 अप्रैल, 2011, का.आ. 85(अ) दिनांक 11 जनवरी, 2012, का.आ. 1272(अ) दिनांक 25 मई, 2012, का.आ. 2613(अ) दिनांक 25 अक्तूबर, 2012 और का.आ. 2825(अ) दिनांक 22 नवंबर, 2012, का.आ. 43(अ) दिनांक 31 दिसंबर, 2012, का.आ. 1351(अ) दिनांक 21 मई, 2013, का.आ. 306(अ) दिनांक 31 जनवरी, 2014, का.आ. 2520(अ) दिनांक 26 सिंतबर, 2014, का.आ. 2587(अ) दिनांक 2 अक्तूबर, 2014 तथा का.आ. 1459(अ) दिनांक 1 जून, 2015, का.आ. 2485(अ) दिनांक 4 सितंबर, 2015,का.आ. 3097(अ) दिनांक 09 नवंबर, 2015, का.आ. 4111(अ) दिनांक 22 दिसंबर, 2016, का.आ. 132(अ) दिनांक 10 जनवरी, 2018, का.आ. 275(अ) दिनांक 17 जनवरी, 2018, का.आ. 276(अ) दिनांक 17 जनवरी, 2018; का.आ. 1794(अ) दिनांक 02 मई, 2018; का.आ. 143(अ) दिनांक 09 जनवरी, 2019; का.आ. 1934(अ) दिनांक 10 जून 2019; का.आ. 2779(अ) दिनांक 2 अगस्त 2019; और का.आ. 3558(अ) दिनांक 1 अक्टूबर 2019 के तहत किया गया।

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health and Family Welfare)

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th November, 2020

- S.O. 4123(E)—In exercise of the powers conferred by Section 7 read with Section 8 of the Pre-conception and Pre-Natal Diagnostic Techniques (Prohibition of Sex Selection) Act, 1994, the Central Government hereby makes the following further amendment in the Notification No. S.O. 85 (E), dated 5th February, 1997, issued by Government of India, in the Ministry of Health and Family Welfare, namely:
- 2. In the said notification, for serial numbers 19, 20, 21 and 22 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely: -

19	Principal Secretary (Health & Family Welfare), Government of Delhi.	Member
20	Dr. Vandana Dhume, State Appropriate Authority Government of Goa.	Member
21	Principal Secretary (Health), Government of Puducherry.	Member
22	Sh. Amit Kumar, Special Secretary (Health & Family Welfare), Government of Punjab.	Member

Term of office of the above members shall be for a period of one year commencing from the date of this notification or till further orders, whichever is earlier.

[F. No. V.11011/04/2020-PNDT]

VIKAS SHEEL, Jt. Secy.

Note: The Principal Notification was published in the Gazette of India, vide no. S.O.85 (E), dated 5th February, 1997 and amended vide No. S.O.160 (E) dated 28th February, 1998 and further amended vide Nos. S.O. 694(E) dated 13thAugust, 1998, S.O. 61(E) dated 14th January, 2000; S.O.114(E)dated 1st February, 2000; S.O.349(E) dated 20th April, 2001; S.O.931(E) dated 19th September, 2001; S.O.590(E) dated 31st May, 2002; S.O.1191 (E) dated 12th November, 2002; S.O.703(E) dated 18th June, 2003; S.O.1458(E) dated 23rd December, 2003; S.O.99(E) dated 20th January, 2004; S.O.367(E) dated 17th March, 2004; S.O.937(E) dated 19th August, 2004; S.O.1008(E) dated 16th September, 2004; S.O.56(E) dated 19th January, 2006; S.O.199(E) dated 10th February, 2006; S.O.200(E) dated 10th February, 2006; S.O. 1854(E) dated 30th October, 2006; S.O.1506(E) dated 20th June, 2008; S.O.130(E) dated 6th January, 2009; S.O.2143(E) dated 20th August, 2009; S.O.779(E) dated 28th April, 2011; S.O.85(E) dated 11th January, 2012; S.O.1272(E) dated 25th May, 2012; S.O. 2613(E) dated 25th October, 2012; S.O. 2825(E) dated 22nd November, 2012; S.O. 43(E) dated 31st December, 2012; S.O. 1351(E) dated 21st May, 2013; S.O. 306(E) dated 31st January, 2014; S.O. 2520(E) dated 26th September, 2014; S.O. 2587(E) dated 2nd October, 2014; S.O. 1459(E) dated 1st June, 2015; S.O. 2458 (E) dated 4th September, 2015; S.O. 3097(E) dated 9th November, 2015; S.O. 4111(E) dated 22nd December, 2016; S.O. 132(E) dated 10th January, 2018; S.O. 275(E) dated 17th January, 2018; S.O. 276(E) dated 17th January, 2018; S.O. 1934(E) dated 10th June 2019; and S.O. 2779(E) dated 2nd August 2019; and S.O. 3558(E) dated 1st October 2019.